


**कार्यालय आदेश**

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या:एस0टी0पी0/2023/1060 दिनांक 25 फरवरी, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दी गयी गाइडलाईन **Vishakha Guidelines against sexual harassment at workplace** के आधार पर इस संस्थान से निम्नलिखित अधिकारियों की एक "कार्य स्थल पर महिला उत्पीड़न समिति" गठित की जाती है।

- डा0 रचना चौधरी, अध्यक्ष।  
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,  
प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग,  
मेरठ।
- डा0 तनवीर बानो, सदस्य।  
आचार्य, एस0पी0एम0 विभाग,  
मेडिकल कालेज, मेरठ।
- डा0 पिकी, सदस्य।  
आचार्य, फार्माकोलोजी विभाग,  
मेडिकल कालेज, मेरठ।
- डा0 प्रीति राठी, सदस्य।  
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,  
फिजियोलोजी विभाग, मेडिकल कालेज,  
मेरठ।
- डा0 प्रीति सिन्हा, सदस्य।  
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,  
एनाटॉमी विभाग, मेडिकल कालेज,  
मेरठ।
- डा0 श्वेता शर्मा, सदस्य।  
आचार्य, मेडिसिन विभाग,  
मेडिकल कालेज, मेरठ।
- डा0 प्रतिभा रानी, सदस्य।  
सह आचार्य, फिजियोलोजी विभाग,  
मेडिकल कालेज, मेरठ।


  
(आर0सी0गुप्ता)  
प्रधानाचार्य,

संख्या:एस0टी0पी0/2023/5991

तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. उपरोक्त समस्त अधिकारियों को।

  
(आर0सी0गुप्ता)  
प्रधानाचार्य,